

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 518]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 28 दिसम्बर 2021—पौष 7, शक 1943

विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 28 दिसम्बर 2021

क्र.-29-1-स्था.-2021-विनिर्वा./163.- भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्रमांक 154-MP-2021-P.Admn, दिनांक 13 दिसम्बर 2021 द्वारा श्री अनुपम राजन, आई.ए.एस. (एम.पी. 1993) को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी पदस्थ किया है. अधिसूचना सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित की जाती है.

धरणेन्द्र कुमार जैन, उपसचिव.

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय

निर्वाचन सदन अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, तारीख 13 दिसम्बर 2021-22 अग्रहायण, 1943 (शक)

अधिसूचना

सं.-154-MP-2021-P.Admn.- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13-क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग मध्यप्रदेश राज्य सरकार के परामर्श से एतद्वारा, श्रीमती वीरा राणा, आई.ए.एस. के स्थान पर श्री अनुपम राजन, आई.ए.एस. (एम.पी. 1993) को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से आगामी आदेशों तक के लिए मध्यप्रदेश राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नामित करता है.

- श्री अनुपम राजन, मध्यप्रदेश सरकार के अधीन सभी पदभार या किसी कार्य के पदभारों को तत्काल सौंप देंगे या धारण करना समाप्त कर देंगे, जो कि वे ऐसा पदभार ग्रहण करने से पहले धारण कर रहे थे.
- श्री अनुपम राजन, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मध्यप्रदेश के रूप में कार्य करते हुए मध्यप्रदेश सरकार के अधीन किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण नहीं करेंगे सिवाय इसके कि उनको राज्य सचिवालय में निर्वाचन विभाग के प्रभारी, सरकार के सचिव पदाभिहित किया जाएगा.

आदेश से
हस्ता/-
(पी.के.शर्मा)

प्रधान सचिव.

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय.

SECRETARIAT OF THE ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi —110001

New Delhi, Dated 13th December, 2021—22 Agrahayana, 1943 (Saka)

NOTIFICATION

No. 154-MP-2021-P.Admn.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India in consultation with the Government of Madhya Pradesh hereby designates Sh. Anupam Rajan, IAS (MP: 1993) as the Chief Electoral Officer for the State of Madhya Pradesh with effect from the date he takes over charge and until further orders in place of Smt. Veera Rana, IAS.

2. Sh. Anupam Rajan shall cease to hold and hand over forthwith the charge of all or any charges of work under the Government of Madhya Pradesh, which he may be holding before such assumption of office.
3. Sh. Anupam Rajan while functioning as the Chief Electoral Officer, Madhya Pradesh shall not hold any additional charge whatsoever under the Government of Madhya Pradesh except that he should be designated Secretary to the Government in charge of Election Department in the State Secretariat.

By order

Sd./-

(P. K. SHARMA)

Principal Secretary

Secretariat of the Election Commission of India.